

विषय: डब्ल्यू.पी 18900/2015 श्री गयादीन मरावी एवं
अन्य विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन।

पंजी क्र 605 दि.26.02.2016

P-1-42/C

विचाराधीन पत्र का कृपया अवलोकन हो।

2/- डिप्टी रजिस्ट्रार माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर
द्वारा पत्र क्रमांक 20233/2016 दिनांक 04.02.2016 द्वारा
याचिका क्रमांक 18900/2015 की प्रति संलग्न कर भेजी
है। प्रकरण में दिनांक 07.03.2016 तक जबावदावा प्रस्तुत
किया जाना है।

3/- लेख है कि उक्त प्रकरण में प्रतिवादी सचिव, नर्मदा
घाटी विकास प्राधिकरण, उपाध्यक्ष नर्मदा घाटी विकास
विभाग एवं मुख्य अभियंता इंदिरा सागर परियोजना खंडवा
आदि को प्रतिवादी बनाया गया है।

4/- अतः विभाग की ओर से प्रतिरक्षण की कार्यवाही
करने हेतु किस अधिकारी को प्रभारी अधिकारी नियुक्त
किया जाना है, इस संबंध में आदेश प्रार्थित है।

अ.अ.

29/2

प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति

के प्रस्ताव हेतु नसीब मुंशी

(वि/अ) को संकेत किया जाना

प्रार्थित।

(एस.के.वघेला)

अवर सचिव
नर्मदा घाटी विकास विभाग

उपसचिव

CR (F.L.M.)

कार्यपालन पंजी (वि.अं) नर्मदा
सभाग सं. 15, इंदौर को प्रभारी अधिकारी
नियुक्त करने हेतु इंतजाम की जायें।
उपसचिव (न.प्र. वि. वि.)

(लक्ष्मीकांत सिंह)

अवर सचिव
नर्मदा घाटी विकास विभाग एवं गृह

23/2

N.V.D.A Bhopal

02
2/3

का:

23/2

21-03-16

वाक्य क्र. 10-10-1911/16/17

दिनांक 01-03-2016

21-03-16

वाक्य क्र. 10-10-1911/16/17

दिनांक 01-03-2016

21-03-16

वाक्य क्र. 10-10-1911/16/17

दिनांक 01-03-2016

21-03-16

वाक्य क्र. 10-10-1911/16/17

दिनांक 01-03-2016

21-03-16

वाक्य क्र. 10-10-1911/16/17

दिनांक 01-03-2016

21-03-16

वाक्य क्र. 10-10-1911/16/17

दिनांक 01-03-2016

21-03-16

वाक्य क्र. 10-10-1911/16/17

दिनांक 01-03-2016

21-03-16

वाक्य क्र. 10-10-1911/16/17

दिनांक 01-03-2016

21-03-16

वाक्य क्र. 10-10-1911/16/17

दिनांक 01-03-2016

21-03-16

वाक्य क्र. 10-10-1911/16/17

दिनांक 01-03-2016

21-03-16

वाक्य क्र. 10-10-1911/16/17

दिनांक 01-03-2016

21-03-16

वाक्य क्र. 10-10-1911/16/17

दिनांक 01-03-2016

21-03-16

वाक्य क्र. 10-10-1911/16/17

दिनांक 01-03-2016

21-03-16

वाक्य क्र. 10-10-1911/16/17

दिनांक 01-03-2016

21-03-16

वाक्य क्र. 10-10-1911/16/17

दिनांक 01-03-2016

21-03-16

वाक्य क्र. 10-10-1911/16/17

दिनांक 01-03-2016

21-03-16

वाक्य क्र. 10-10-1911/16/17

दिनांक 01-03-2016

21-03-16

वाक्य क्र. 10-10-1911/16/17

दिनांक 01-03-2016

21-03-16

वाक्य क्र. 10-10-1911/16/17

दिनांक 01-03-2016

21-03-16

वाक्य क्र. 10-10-1911/16/17

दिनांक 01-03-2016

21-03-16

वाक्य क्र. 10-10-1911/16/17

दिनांक 01-03-2016

21-03-16

वाक्य क्र. 10-10-1911/16/17

दिनांक 01-03-2016

21-03-16

वाक्य क्र. 10-10-1911/16/17

दिनांक 01-03-2016

21-03-16

वाक्य क्र. 10-10-1911/16/17

दिनांक 01-03-2016

21-03-16

वाक्य क्र. 10-10-1911/16/17

दिनांक 01-03-2016

21-03-16

वाक्य क्र. 10-10-1911/16/17

दिनांक 01-03-2016

21-03-16

वाक्य क्र. 10-10-1911/16/17

दिनांक 01-03-2016

21-03-16

वाक्य क्र. 10-10-1911/16/17

दिनांक 01-03-2016

21-03-16

वाक्य क्र. 10-10-1911/16/17

दिनांक 01-03-2016

21-03-16

वाक्य क्र. 10-10-1911/16/17

दिनांक 01-03-2016

21-03-16

वाक्य क्र. 10-10-1911/16/17

दिनांक 01-03-2016

21-03-16

वाक्य क्र. 10-10-1911/16/17

दिनांक 01-03-2016

21-03-16

वाक्य क्र. 10-10-1911/16/17

दिनांक 01-03-2016

21-03-16

वाक्य क्र. 10-10-1911/16/17

दिनांक 01-03-2016

21-03-16

वाक्य क्र. 10-10-1911/16/17

दिनांक 01-03-2016

21-03-16

वाक्य क्र. 10-10-1911/16/17

दिनांक 01-03-2016

21-03-16

वाक्य क्र. 10-10-1911/16/17

दिनांक 01-03-2016

21-03-16

वाक्य क्र. 10-10-1911/16/17

दिनांक 01-03-2016

21-03-16

वाक्य क्र. 10-10-1911/16/17

दिनांक 01-03-2016

21-03-16

वाक्य क्र. 10-10-1911/16/17

दिनांक 01-03-2016

21-03-16

वाक्य क्र. 10-10-1911/16/17

दिनांक 01-03-2016

21-03-16

वाक्य क्र. 10-10-1911/16/17

दिनांक 01-03-2016

21-03-16

वाक्य क्र. 10-10-1911/16/17

दिनांक 01-03-2016

21-03-16

वाक्य क्र. 10-10-1911/16/17

दिनांक 01-03-2016

21-03-16

वाक्य क्र. 10-10-1911/16/17

दिनांक 01-03-2016

21-03-16

वाक्य क्र. 10-10-1911/16/17

दिनांक 01-03-2016

21-03-16

वाक्य क्र. 10-10-1911/16/17

दिनांक 01-03-2016

21-03-16

वाक्य क्र. 10-10-1911/16/17

दिनांक 01-03-2016

21-03-16

वाक्य क्र. 10-10-1911/16/17

दिनांक 01-03-2016

21-03-16

वाक्य क्र. 10-10-1911/16/17

दिनांक 01-03-2016

21-03-16

वाक्य क्र. 10-10-1911/16/17

दिनांक 01-03-2016

21-03-16

वाक्य क्र. 10-10-1911/16/17

दिनांक 01-03-2016

21-03-16

वाक्य क्र. 10-10-1911/16/17

दिनांक 01-03-2016

21-03-16

वाक्य क्र. 10-10-1911/16/17

दिनांक 01-03-2016

21-03-16

वाक्य क्र. 10-10-1911/16/17

दिनांक 01-03-2016

21-03-16

वाक्य क्र. 10-10-1911/16/17

दिनांक 01-03-2016

21-03-16

वाक्य क्र. 10-10-1911/16/17

दिनांक 01-03-2016

21-03-16

वाक्य क्र. 10-10-1911/16/17

दिनांक 01-03-2016

21-03-16

वाक्य क्र. 10-10-1911/16/17

दिनांक 01-03-2016

21-03-16

वाक्य क्र. 10-10-1911/16/17

दिनांक 01-03-2016

21-03-16

वाक्य क्र. 10-10-1911/16/17

दिनांक 01-03-2016

21-03-16

वाक्य क्र. 10-10-1911/16/17

दिनांक 01-03-2016

21-03-16

वाक्य क्र. 10-10-1911/16/17

दिनांक 01-03-2016

21-03-16

वाक्य क्र. 10-10-1911/16/17

दिनांक 01-03-2016

21-03-16

वाक्य क्र. 10-10-1911/16/17

दिनांक 01-03-2016

21-03-16

वाक्य क्र. 10-10-1911/16/17

दिनांक 01-03-2016

21-03-16

वाक्य क्र. 10-10-1911/16/17

दिनांक 01-03-2016

21-03-16

वाक्य क्र. 10-10-1911/16/17

दिनांक 01-03-2016

21-03-16

वाक्य क्र. 10-10-1911/16/17

दिनांक 01-03-2016

21-03-16

2

○

छब्बीस-२ सचिवालय

एफ 18-51/2016/सत्ताईस-एक

विषय:

डब्ल्यू.पी 18900/2015 श्री गयादीन मरावी एवं
अन्य विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन।

मंत्री
गंधाविधि
का विभाग

पूर्व पृष्ठ से:-

—0—

गवपूषीप भडमोदन पञ्चात छानप
अडमोदनार्क प्रलुत।

3/3

भारत सरकार

3/3/16

अवर सचिव

3/3

02/3/3

अ.स.

स्वच्छ प्रतियां हज्जाद्वारा प्रलुत।

4/3

भारत सरकार

4/3/16

अवर सचिव

4/3

उपसचिव

(एस.के.बघेल)
अवर सचिव
नर्मदा घाटी विकास विभाग

जा 102/3/3

स

5/3/16

जावक क्र. 994-98/XXVII
5/3/2016

विषय: डब्ल्यू.पी 18900/2015 श्री गयादीन मरावी एवं
अन्य विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन।

NVDD
का विभाग

-0-

पूर्व पृष्ठ से।

उपरोक्त प्रकरण में दिनांक 5/3/2016
को प्रार्थी अधिवक्ता की विचारित की जा चुकी है।
अतः प्रतिरक्षण की कार्यवाही हेतु नतीजा विधि
विभाग को भर्त्ता करना चाहेंगे।

8/3

अधिवक्ता

अवर सचिव

9/3/16

उपसचिव

प्रति रक्षण

अवर सचिव

(एस.के.बघेल)

अवर सचिव

नर्मदा घाटी विकास

आदेश

प्राप्ति

9/3

विधि
विभाग

9/3/16

(लक्ष्मीकान्त द्विवेदी)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

नर्मदा घाटी विकास विभाग एवं गृह

UO.No.240/2016/27-1
10/03/2016

4420

क्रि.मो.द.न.
11-3-16

एफ 18-51/2015/सत्ताईस-एक

○
छब्बीस-२ सचिवालय

विषय: डब्ल्यू.पी 18900/2015 श्री गयादीन मरावी एवं
अन्य विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन।

का विभाग

—0—

45

मध्य प्रदेश शासन
नर्मदा घाटी विकास विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल 462004
//आदेश//

भोपाल, दिनांक 5 / 03 / 2016

क्रमांक एफ 18-51/2016/सल्टाईस-एक सिविल सहिता प्रक्रिया 1908 (1) 1908 का अधिनियम संख्यक -5 के आदेश सल्टाईस के नियम 1 तथा 2 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कार्यपालन यंत्री (वि./या.) नर्मदा विकास संभाग क्रमांक- 15 इंदौर को (पक्षकार का नाम) श्री गयादीन मरावी एवं अन्य विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन एवं अन्य प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी. 18900/2015 में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में मध्य प्रदेश राज्य के लिए तथा उसकी ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिकथनों पर हस्ताक्षर करने और उन्हें सत्यापित करने के लिए तथा कार्य करने, आवेदन करने और उपसंजात होने के लिए नियुक्त किया जाता है। प्रभारी अधिकारी को ये आदेश दिया जाता है, कि मध्यप्रदेश विधि और विधायी कार्य विभाग, नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्ति के तुरंत पश्चात अन्य बातों के साथ ऐसी रीति में जिसके ब्यौरे नीचे दिये गये हैं, निम्नलिखित कार्य करेगा:-

1. प्रभारी अधिकारी मामले के तथ्यों के बारे में तुरंत ऐसी जांच करेगा जैसा कि आवश्यक हो और विधि याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनमें कि मामले के संचालन में महाधिवक्ता/शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुंचने की संभावना है, रिपोर्ट तैयार करेगा। यदि किसी प्रक्रम पर विधि विभाग से परामर्श किया गया था तो उस विभाग की राय भी रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट की जायेगी।
2. समस्त संसुगत फाइलें, दस्तावेज, नियम अधिसूचनाएँ/ तथा आदेश एकत्रित करेगा।
3. वाद पत्र/याचिका में उठाए गए समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए, जिनसे कि शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुंचने की संभावना है, रिपोर्ट तैयार करेगा।
4. उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करेगा।
5. शासकीय अधिवक्ता की सहायता लिखित कथन/ उत्तर तैयार करवायेगा। प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित कागज पत्र भेजेगा:-
 - (अ) वाद पत्र की एक प्रति के साथ सरकार को एक रिपोर्ट।
 - (ब) प्रस्तावित लिखित कामों का प्रारूप।
 - (स) उन सब गवाहों दस्तावेजों की सूची जिन्हें साक्ष्य स्वरूप फाइल करना प्रभारी अधिकारी द्वारा प्रस्तावित है, और जिनकी प्रस्तुत रिपोर्ट में अपेक्षा की गई है।
 - (द) मामले के विशुद्धिकरण के लिए, आवश्यक कागज पत्रों की प्रतियां इनमें बाद की सुनवाई की तारीख भी वर्णित होनी चाहिए।
6. मामले की तैयारी और संचालक करने में शासकीय अधिवक्ता का सहयोग करना और मामले में उससे प्रक्रम और प्रगति में नियम किए गए कर्तव्यों से स्वयं उसे सदैव ही अवगत रखना।
7. जब भी कोई आदेश/निर्णय विशिष्टता मध्यप्रदेश राज्य के विरुद्ध पारित किया जाता है यथा विधि विभाग को सूचित करना तथा उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए उसी दिन या आगामी कार्य दिवस को आवेदन करना।
8. आपकी रिपोर्ट के साथ आदेश/निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही किए जाने के लिए इस विभाग को भेजेंगे।
9. यह देखना कि आवेदन करने में तथा प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने, रिपोर्ट बनाने, राय प्राप्त करने और उसकी सूचना देने में समय नष्ट नहीं हो।
10. जैसे ही उसे अपना स्थानांतरण आदेश प्राप्त होता है वह अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा। वह वर्तमान पद का पदभार सौंप देने के पश्चात भी तब तक प्रभारी अधिकारी बना रहेगा, जब तक कि अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया।

11. प्रभारी अधिकारी मामले तैयार करने में शासकीय अधिवक्ता को हर संभव सहयोग देगा तथा इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि कोई महत्वपूर्ण बिन्दु या दस्तावेज अप्रकटित/छुपा नहीं रह जाये।
12. प्रभारी अधिकारी या लोक अभियोजक मुर्कर है, तो यह जैसे ही वाद का विनिश्चय होता है तो परिणाम की रिपोर्ट विभागाध्यक्ष के माध्यम से सरकार को करेगा। निर्णय की एक प्रति अभिप्राप्त की जाए और रिपोर्ट के साथ भेजी जाए।
13. प्रभारी अधिकारी या लोक अभियोजक मुर्कर है, तो वह इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि उन मामलों में जहां किसी वाद के प्रक्रम में पारित किये गये अंतिम आदेश या पुनरीक्षण अपेक्षित है, समय पर कार्यवाही की गई। अतएव वह इस आदेश की प्रति जैसे ही वह पारित किया जाए। विभागाध्यक्ष के माध्यम से अपनी अनुशंसा के साथ सरकार (प्रशासकीय) विभाग को अग्रेषित करें।
2. न्यायालय द्वारा प्रकरण में अंतिम रूप से आदेश पारित किए जानेपर प्रभारी अधिकारी का कर्तव्य होगा कि वह तत्काल आदेश का अध्ययन कर इन बिन्दुओं को अलग से छांटे जिन पर कार्यवाही की जाकर पालन प्रतिवेदन किस निर्दिष्ट दिनांक तक न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना है। तत्पश्चात प्रभारी अधिकारी तत्काल लिखित में शासन का अथवा उस सक्षम अधिकारी जहां से आवश्यक कार्यवाही की जाना है, ध्यान आकर्षित कराएगा। निश्चित समयावधि में न्यायालय के निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराएगा।
3. प्रभारी अधिकारी समय-समय पर प्रकरण की प्रगति से संबंधित संचालक(प्रशासन) /मुख्य अभियंता को भी लिखित में अवगत कराएगा ताकि प्रत्येक प्रकरण की अद्यतन जानकारी वहां उपलब्ध रह सके।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

o/c

5.3.16

(लक्ष्मीकान्त द्विवेदी)

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन

नर्मदा घाटी विकास विभाग

भोपाल दिनांक 5 /03/2016

पृष्ठांकन क्र. एफ18-51/2016/सत्ताईस-एक
प्रतिलिपि:-

- 1/- उपाध्यक्ष, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण भोपाल।
 - 2/- प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल।
 - 3/- महाधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर।
 - 4/- शासकीय अधिवक्ता/रीडर/अभिभाषक जबलपुर।
 - 5/- संचालक(प्रशासन) नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण भोपाल।
 - 6/- मुख्य अभियंता (वि./या.) नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण भोपाल।
 - 7/- कार्यपालन यंत्री (वि./या.) नर्मदा विकास संभाग क्रमांक- 15 इंदौर प्रभारी अधिकारी की ओर प्रेषित, साथ ही शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करने और उपस्थित रहने, प्रमाण पत्र प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करने तथा अपनी प्रत्येक भेंट/विजिट पर शासकीय अधिवक्ता से राय/कार्यवाही के साथ उसे उसके विभागाध्यक्ष को भेजने हेतु अग्रेषित करेगा। मामले की प्रगति रिपोर्ट की एक प्रति इस विभाग को सदैव भेजी जानी चाहिए वाद पत्र की एक प्रति इस विभाग को आवश्यक रूप से भेजी जाये मामले की सुनवाई तारीखउत्तरहेतु नियत है।
 - 8/- आर्डर बुक।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

o/c

5.3.16

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन

नर्मदा घाटी विकास विभाग

18/5/2016

Y

IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH AT JABALPUR

Process Id: 20233/2016

WP/18900/2015

From

Kishore Pithawe
Deputy Registrar,
High Court of Judicature
at Jabalpur

FOR ADM.and I.R.
Fixed for 07-03-2016
WP-DA-4
Respondent No. 1

To,

The State Of Madhya Pradesh,
Secretary Narmada Valley Development
Department Vallabh Bhawan Bhopal,
District- Bhopal (MADHYA PRADESH) ,

मध्य प्रदेश शासन
नर्मदा घाटी विकास विभाग
बाबक नं. 605 XXVII
दिनांक 26-02-16
Jabalpur 04-02-2016

Sub: Notice to Respondent No. 1 in writ Petition(Mandamus/Prohibition/ Certiorari/Quo Warranto) No. WP/ 18900/ 2015

Sir/Madam,

24-2-16
60

I am directed to inform you that one **Gayadeen Maravi** has filed a petition under Article 226 of the Constitution of India (Copy enclosed) in this Court, and the same is registered as Writ Petition (Mandamus/ Prohibition/ Certiorari/ Quo Warranto) No. **WP/18900/2015**

Take notice that you are required to submit a return personally or through a duly engaged Advocate on or before **07-03-2016**. If no return is filed as aforesaid, the petition will be heard and decided exparte.



23 FEB 2016
DS

Your faithfully

DEPUTY REGISTRAR